पत्रांक–01 / नि0वि0–11 / 2024.....1903...../

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषयः– **झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 लागू होने के पूर्व मॉडल गाइडलाईन के तहत् राज्य में विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तावकों द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में जमा किये गये 1.00 लाख रूपये की राशि, मॉडल गाइडलाईन के तहत् निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु निर्गत LoI को निरस्त एवं LoI के अनुपालन प्रतिवेदन के रूप में जमा 4.00 करोड़ रूपये Endowment Fund के रूप में Pledge की गयी राशि को संबंधित निजी विश्वविद्यालय / ट्रस्ट को वापस करने की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं परिचालन को विनियमित करने हेतु झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024, राजकीय गजट संख्या–745 के द्वारा निर्गत है। इसके पूर्व राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु वर्ष 2014 में निर्गत मॉडल गाइडलाईन के तहत् कार्रवाई की जा रही थी।

2. उक्त मॉडल गाइडलाईन्स के तहत् निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रायोजक निकायों द्वारा कुल 39 प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन थे। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 1.00 लाख रूपये प्राप्त हुए, जिसे कोषागार में जमा कराया गया। उक्त 39 प्रस्तावों में से 13 प्रायोजक निकायों को विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त LoI निर्गत किया गया। उक्त 13 प्रायोजक निकायों में से 08 प्रायोजक निकायों द्वारा प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों को LoI के अनुपालन में 4.00 करोड़ का Endowment Fund अलग–अलग बैंकों में विभाग के नाम से Pledge किया गया है।

3. झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत् उक्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक–24.12.2024 को बैठक की गयी। उक्त बैठक में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करने की अनुशंसा की गयी। तदालोक में विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत् कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया।

4. विधि विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत् निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक–15.05.2025 की बैठक में मामले की समीक्षा की गयी। समिति द्वारा पाया गया कि नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय को उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा। अतः झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 लागू होने के पूर्व मॉडल गाइडलाईन्स, 2014 के तहत् निर्गत LoI को सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) के अनुमोदनोपरांत वापस लिया जाना है।

पुनः झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के प्रावधान के अनुसार प्रायोजक निकाय को Web portal के माध्यम से आवेदन करना होगा एवं रू0 5,00,000 / – (पाँच लाख) का आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही जिन्हें LoI निर्गत किया जायेगा, उन्हें LoI के अनुपालन में 07 करोड़ रूपये (नगर निगम के अन्दर प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय हेतु) अथवा 10 करोड़ रूपये (नगर निगम के बाहर प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय) का Endowment Fund भी Pledge करना होगा। अतः समिति द्वारा प्रस्तावित

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव के साथ प्राप्त आवेदन शुल्क की वापसी एवं Pledged Endowment Fund की विमुक्ति पर सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन प्राप्त करने की अनुशंसा की गयी।

5. तदालोक में झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के प्रावधानान्तर्गत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु LoI के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। मॉडल गाइडलाईन के तहत् प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए आवेदन शुल्क के रूप में 1.00 लाख रूपये को वापस करने, मॉडल गाइडलाईन के तहत् निर्गत LoI को वापस लेने एवं LoI के अनुपालन में विभाग को Pledge किये गये 4.00 करोड़ रूपये Endowment Fund को विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(i) मॉडल गाइडलाईन के तहत् विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की संख्या – 39

(ii) प्रस्तावों की संख्या, जिसका 1.00 लाख रूपये का आवेदन शुल्क वापस किया जाना है – 39

(iii) प्रस्तावों की संख्या, जिनका LoI वापस किया जाना है – 13

(iv) प्रस्तावों की संख्या, जिसका 4.00 करोड़ रूपये का Pledged Endowment Fund विमुक्त किया जाना है – 08

6. उक्त में से 02 निजी विश्वविद्यालय यथा–जैन विश्वविद्यालय, गोला, रामगढ़ एवं सी0वी0 रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय, कोडरमा के आवेदन शुल्क 1.00 लाख रूपये के साथ–साथ Endowment Fund 4.00 करोड़ रू0 की राशि को वापस करने एवं इस हेतु निर्गत LoI को निरस्त करने की कार्रवाई अलग से की जा रही है।

7. अतः उक्त के आलोक में –

i) झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 लागू होने के पूर्व मॉडल गाइडलाईन के तहत् प्रक्रियाधीन कुल 37 प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव के साथ प्राप्त 1.00 लाख रूपये आवेदन शुल्क की वापसी की स्वीकृति दी जाती है।

ii) मॉडल गाइडलाईन के तहत् प्रस्तावित 11 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय को निर्गत LoI को वापस करने की स्वीकृति दी जाती है।

iii) मॉडल गाइडलाईन के तहत् निर्गत LoI के अनुपालन में 06 प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों के प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित 4.00 करोड़ रूपये के Endowment Fund को वापस करने हेतु NOC निर्गत करने की स्वीकृति दी जाती है।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–25.08.2026 में मद संख्या–43 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / वि0वि0–11 / 2024.....1903..... / राँची / दिनांक.....10/09/2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10.9.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / वि0वि0–11 / 2024.....1903..... / राँची / दिनांक.....10/09/2026

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव एवं मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची / विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट में प्रकाशनार्थ / श्री चन्दन कुमार, एम0आई0एस0 पदाधिकारी, तकनीकी सहायता समूह को विभागीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु / विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.9.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।